

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी शाहाबाद जिला बारां राजस्थान
दावा संख्या 70/22 दायरा दिनांक 16.12.2022

पीठासीन अधिकारी – श्री मुकेश चन्द्र मीना (आर.ए.एस.)

- 1-लट्टू पुत्र बुद्धू उम्र 65 साल जाति जाटव निवासी सड तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
- 2-सिरिया पुत्र बुद्धू उम्र 60 साल जाति जाटव निवासी सड तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
- 3-पर्वतिया पुत्र बुद्धू उम्र 70 साल जाति जाटव निवासी सड तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
- 4-मुन्नी पुत्री बुद्धू उम्र 55 साल जाति जाटव निवासी सड तह0 शाहावाद जिला बारां राज0
- 5-नब्बो पुत्री बुद्धू उम्र 50 साल जाति जाटव निवासी सड तह0 शाहावाद जिला बारां राज0 वादीगण

बनाम

- 1-बाबरिया पुत्र चेंतू जाति जाटव निवासी सड तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 2-भजनी पुत्र चेंतू जाति जाटव निवासी सड तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 3-तितुरिया पुत्र चेंतू जाति जाटव निवासी सड तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 4-साजन्दे पुत्री चेंतू पत्नि बाबू जाति जाटव निवासी कस्बाथाना तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 5-मादो पुत्री चेंतू पत्नि धन्नू जाति जाटव निवासी सहरोलतलेटी तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 6-पुक्खो पुत्री चेंतू पत्नि रामचरण जाति जाटव निवासी बसई तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 7-बलराम पुत्र कल्लू जाति जाटव निवासी सड तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 8-रामस्वरूप पुत्र कल्लू जाति जाटव निवासी सड तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 9-रामहेत पुत्र कल्लू जाति जाटव निवासी सड तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 10-विधा पुत्री कल्लू पत्नि रतनलाल जाति जाटव निवासी शाहावाद तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 11-कुसमा पुत्री कल्लू पत्नि मुरारी जाति जाटव निवासी पाटन तहसील शाहावाद जिला बारां राज0
- 12-राज0 राज्य जयें तहसीलदार शाहाबाद जिला बारां राजस्थान

प्रतिवादीगण

दावा अन्तर्गत धारा 53 राज. काश्त. अधि. 1955


अंतिम निर्णय दिनांक- 12.06.2025

उपस्थित

वादीगण की ओर से – श्री अजय अग्रवाल एडवोकेट

प्रतिवादीगण की ओर से – स्वयं उपस्थित

उक्त उनवानी वाद को इस न्यायालय द्वारा पारित प्राथमिक निर्णय की दिनांक 21.02.2024 से स्वीकार किया जाकर विवादित आराजी ख0नं0 90 रकबा 0.40 बीघा, ख0नं0 91 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 93 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 104 रकबा 0.18 बीघा, ख0नं0 106 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 108 रकबा 3.15 बीघा, ख0नं0 111 रकबा 4.15 बीघा, ख0नं0 177 रकबा 7.04 बीघा, ख0नं0 232 रकबा 0.18 बीघा व ख0नं0


12.06.2025
उपखण्ड अधिकारी

1303/176 रकबा 2.10 बीघा कुल किता 10 कुल रकबा 31.09 बीघा ग्राम सड पटवार हल्का बीलखेडामाल तहसील शाहाबाद में से वादीगण हिस्सा 1/2 का विभाजन अच्छी में से अच्छी एवं बुरी में से बुरी के आधार पर स्वीकार किया जाकर तहसीलदार शाहाबाद को विभाजन प्रस्ताव पेश करने हेतु निर्देशित किया गया था, जिसकी पालना में दिनांक 28.04.2025 को तहसीलदार शाहाबाद द्वारा विभाजन प्रस्ताव पेश किया गया, जिसे वादीगण ने स्वीकार कर कोई आपत्ति नहीं होना जाहिर किया। तहसीलदार शाहाबाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव निम्न प्रकार है-


क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
1-	लट्टू सिरिया पुत्र बुद्धू पर्वतिया मुन्नी	90	2.05 बीघा	बा.चाह	
	नब्बो पुत्रियां बुद्धू कोम जाटव सा.देह	उत्तरी			
	खातेदार लट्टू सिरिया का हिस्सा रहन	93	3.00 बीघा	बा.चाह	
	एच के जी बी शाखा देवरी	उत्तरी			
		104	0.10 बीघा	बा.चाहरूम	
		उत्तरी			
		111	3.00 बीघा	बा.चाहरूम	
		पूर्वी			
		177	3.12 बीघा	बा.चाहरूम	
		पूर्वी			
		232	0.09 बीघा	खेडा2	
		303/176	1.05 बीघा	बा.चाह	
		उत्तरी			
		108	1.18 बीघा	बा.चाह	

क.सं.	काश्तकार का नाम	ख.सं.	रकबा	किस्म	लगान
2-	बाबरिया भजनी तितुरिया पुत्र साजन्दे	90	2.05 बीघा	बा.चाह	
	माडो पुखो पुत्रियां चेंतु बलराम रामस्वरूप	दक्षिणी			
	रामहेत पुत्र विधा कुसुमा पुत्रियां कल्लू	91	0.04 बीघा	बा.चाह	
	कोम जाटव सा.देह हि.बरा.	93/1	3.00 बीघा	बा.चाह	
		दक्षिणी			
		104/1	0.08 बीघा	बा.चाहरूम	
		दक्षिणी			
		111/1	1.15 बीघा	बा.चाहरूम	
		पश्चिमी			
		177/1	3.12 बीघा	बा.चाहरूम	
		पश्चिमी			
		232/1	0.09 बीघा	खेडा2	
		303/176/1	1.05 बीघा	बा.चाह	
		दक्षिणी			
		108/1	1.17 बीघा	बा.चाह	
		दक्षिणी			

किता 9 कुल रकबा 16.00 बीघा

12.06.2025

अतः तहसीलदार शाहावाद द्वारा प्रस्तुत विभाजन प्रस्ताव को स्वीकार किया जाकर ग्राम सड तहसील शाहावाद स्थित विवादित आराजी विवादित आराजी ख0नं0 90 रकबा 4.10 बीघा, ख0नं0 91 रकबा 0.04 बीघा, ख0नं0 93 रकबा 6.00 बीघा, ख0नं0 104 रकबा 0.18 बीघा, ख0नं0 106 रकबा 1.05 बीघा, ख0नं0 108 रकबा 3.15 बीघा, ख0नं0 111 रकबा 4.15 बीघा, ख0नं0 177 रकबा 7.04 बीघा, ख0नं0 232 रकबा 0.18 बीघा व ख0नं0 1303/176 रकबा 2.10 बीघा कुल कित्ता 10 कुल रकबा 31.09 बीघा में से वादीगण हिस्सा 1/2 का उपरोक्तानुसार अनुसार विभाजन किया जाता है। उपरोक्तानुसार वादीगण का प्रथक खाता कायम कर तरमीम करते हुये वादीगण को विभाजित हिस्सा 1/2 पर दखल दिया जावे। पालनार्थ तहसीलदार शाहावाद को लिखा जावे। अंतिम डिकी पर्चा जारी हो। निर्णय मेरे द्वारा लिखाया जाकर आज दिनांक 12.06.2025 को सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण पत्रावली फैसलशुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।


12.06.2025
उपखण्ड अधिकारी
शाहावाद